

कार्यालय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर

ई-निविदा सूचना संख्या 14 दिनांक 01/09/2026

ई-निविदा बाबत वार्षिक दर संविदा

भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था

ई-निविदा सूचना संख्या 14 दिनांक 01/09/2026

राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर द्वारा निम्न वर्णित उपापन योग्य विषय सामग्री/सेवाओं के उपापन के लिये बोनाफाईड विनिर्माताओं/उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता/अधिकृत विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में सिंगल स्टेज टू-एनवेलप प्रणाली के अंतर्गत शर्तारहित ऑनलाइन खुली बिड आमंत्रित की जाती हैं :-

विवरण	मात्रा	लागत	अमानत राशि
भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था के लिये वार्षिक दर संविदा	स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार	5,00,000/-	10,000/-
बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन		
बोली प्रपत्र का मूल्य	1000/- रुपये		
ई-निविदा हेतु RISL प्रक्रिया शुल्क	500/- रुपये		
बोली आमन्त्रणकर्ता	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर		
आनलाईन बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 01/09/26 से दिनांक 14/09/26 दोपहर 3:00 बजे तक		
बोली अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	14/09/26 सायं 3:00 बजे तक		
ऑनलाईन बोली प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, आरआईएसएल प्रक्रिया शुल्क का डीडी भौतिक रूप से जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	14/09/26 दोपहर 12:00 बजे तक		
बोली के तकनीकी प्रपत्र खोलने की तिथि व समय	15/09/26 दोहर 12:00 बजे तक		
बिड प्रपत्र इत्यादि डाउनलोड करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली वेबसाइट	http://eproc.rajasthan.gov.in www.rncjaipur.org sppp.raj.gov.in		
बिड प्रपत्र इत्यादि अपलोड करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली वेबसाइट	http://eproc.rajasthan.gov.in		

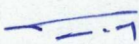
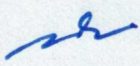
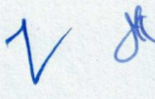
बोली संबंधी शर्तें

- बोली संबंधी प्रपत्र, विवरण, शर्तें, विशिष्टियों देखने/ डाउनलोड/अपलोड करने हेतु वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> or www.rncjaipur.org एवं sppp.raj.gov.in उपयोग ली की जा सकती है। बोली अपलोड कराने के पश्चात बोली खोलने की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
- बोली शुल्क एवं अमानत राशि का डीडी रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के नाम से देय एवं RISL प्रक्रिया शुल्क MD RISL (पेबल एट जयपुर) के नाम से देना होगा। उक्त के अभाव में बोली नहीं खोली जायेगी।
- निविदादाता द्वारा बोली शुल्क, अमानत राशि, RISL प्रक्रिया शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक के लिये अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमान्ड ड्राफ्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली में प्रस्तुत दरे बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक बोली स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी अमानत राशि/प्रक्रिया शुल्क जब्त कर ली जावेगी।

5. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, अमानत राशि, आरआईएसएल प्रक्रिया शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ तकनीकी योग्यताओं से संबंधित समस्त दस्तावेज यथा पैन कार्ड की फोटो प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. प्रपत्र 11, ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, लघु उद्योगों की दशा में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण एवं बोली प्रपत्र शर्तों सहित मय हस्ताक्षरित वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
6. बोली शुल्क व धरोहर राशि एवं आरआईएसएल प्रक्रिया शुल्क डिमांड ड्राफ्ट भौतिक रूप से कार्यालय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कराना होगा। उक्त दस्तावेज जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
7. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक (जन-स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पास सुरक्षित है।
8. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :-
 - a. इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र को वेबसाईट www.rncjaipur.org एवं sppp.raj.gov.in से डाउनलोड (Download) एवं वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर सकते हैं।
 - b. बोली में भाग लेने वाले निविदाताओं को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन (डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग में लेना होगा) करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (सीसीए) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - c. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को अपलोड करने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें की बोली से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न (अटैच) कर दी गयी है।
 - d. कोई भी बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बिड अपलोड करने की निर्धारित तिथि व समय तक बिड अपलोड करने में किसी भी कारण से असफल रहता है इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - e. ऑनलाइन बोली भरते समय संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी प्रकार की बाधा के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - f. बोलियों को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - g. ऑनलाइन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
 - h. बोली के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचनाओं / दस्तावेजों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन अपलोड करें।
9. सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के किसी भाग को निरस्त का पूर्ण अधिकार निदेशक (जन-स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पास सुरक्षित होगा।
10. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

11. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी वित्तीय बिड खोले जाने के समय / तिथि के विषय में बाद में सूचित कर दिया जावेगा।

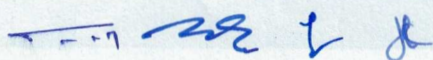
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

सामान्य शर्तें

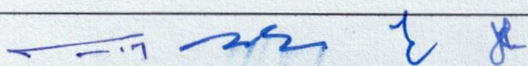
- 1) ई बोली प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्नक व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मयसील) ई-प्रोक पोर्टल पर अपलोड करनी हैं। वित्तीय बिड ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जानी हैं। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2) बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिड में भाग लेने से पूर्व ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध बिडर मैनुअल से प्राप्त कर लेवे।
- 3) इच्छुक आवेदक को इस हेतु DOIT विभाग के निर्देशानुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग में लेना होगा।
- 4) यह ध्यान रखा जावे कि तकनीकी निविदा के साथ यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती है तो ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा।
- 5) एमएसएमई फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म का आमंत्रित निविदा में संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण नहीं होने पर फर्म को एमएसएमई छुट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 6) यदि फर्म को किसी कार्यालय/संस्था/विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो तथा इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा फर्म को कोई स्थगन आदेश प्राप्त हो तो इसका विवरण बोली प्रपत्रों के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- 7) निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को ऑनलाईन खोला जाकर निम्न मापदण्ड के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा:-
 - a. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि व आर.आई.एस.एल. फीस की प्राप्ति।
 - b. हस्ताक्षरित ई-बोली प्रपत्र, शर्तें मय आवश्यक दस्तावेज व संलग्नक ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
 - c. लघु उद्योग के मामले के उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। इस बोली आमंत्रण में राजस्थान राज्य के एम.एस.एम.ई. उपक्रम भाग ले सकते हैं। यदि वे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार इस बोली में भाग लेने हेतु योग्य है।
- 8) बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्सचर A, B, C – D एवं एस. आर. प्रारूप-11 अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
- 9) तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
- 10) बोलीदाता फर्म को संबंधित प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार निर्देशित स्थान पर आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद माल की सुपुर्दगी करनी होगी।
- 11) सामग्री आपूर्ति के समय लागू जी०एस०टी० की दरे मान्य होगी।
- 12) बोलीयां उचित रूप से ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।
- 13) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ति सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
- 14) संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा/किये जावेगे जब तक कि वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

- 15) कोई भी व्यक्ति या फर्म जो उस राज्य में जहाँ उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, बोली प्रस्तुत नहीं करेगा।
- 16) न्यूनतम निविदादाता (L-1) का निर्धारण बिडर फर्म द्वारा मदवार दी गई दरों के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
- 17) दरें बोली स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
- 18) यदि अपरिहार्य कारणों से नयी दर संविदाओं का तय किया जाना संभव नहीं हो तो विद्यमान दर संविदा उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी।
- 19) कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत की लिये की जायेगी।
- 20) सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेंसी को नहीं सौपेगा या सब लेट नहीं करेगा।
- 21) सम्पादित किया जाने वाला कार्य/प्रदत्त की गई सामग्री अथवा सेवा, आरएनसी के निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों के अनुरूप एवं अध्याधीन है।
- 22) सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण/परिक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण कराया जावेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त करेगा।
- 23) इस बोली का कार्य क्षेत्राधिकार, जयपुर होगा।
- 24) बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत का डी०डी० जमा कराना होगा। इस बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :-
 - a. जब बोलीदाता बोली खोले जाने पश्चात्, किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - b. जब बोलीदाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो सम्पादित नहीं करता।
 - c. जब प्रदाय आदेश दिये जाने पश्चात् बोलीदाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता।
 - d. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
- 25) उपापन समिति किसी भी बोली को/ उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है। किसी भी बोली को स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी को मान्य होगा।
- 26) सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में बोली सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत, प्रतिभूति निक्षेप के अधीन जमा कराये गये डीडी के माध्यम से जमा करानी होगी, जिसमें अमानत राशि के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः निम्नानुसार समपहरण किया जा सकेगा :-
 - a. जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता है।
 - b. जब बोलीदाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 - c. इस संबंध में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल का निर्णय अंतिम होगा।
- 27) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-प्रथम के भाग द्वितीय के नियम-68 में अभिकथित प्रारूप एस.आर-16 के इस संविदा/बोली का भाग समझा जावेगा, जो बोलीदाता पर सामान्य रूप से प्रभावी समझा जावेगा।
- 28) सफल बोलीदाता को प्रारूप एस.आर-17 में एक करार 500/- राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तीन दिवस में कराना होगा।



- 29) बोली प्रारूप में सुपुर्दगी हेतु निर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल बोलीदाता, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से आदेश की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
- 30) निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस सामग्री/सेवा जिसका प्रदाय करने में बोलीदाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जावेगी।
- विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब – अढाई प्रतिशत
 - विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से अनधिक कालावधि तक का विलम्ब – पाँच प्रतिशत
 - विहित कालावधि से आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि विलम्ब साढ़े सात प्रतिशत
 - विहित कालावधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिये दस प्रतिशत
- 31) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग को गणना योग्य नहीं माना जावेगा, यदि वह आधे दिन से कम है।
- 32) निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम दस प्रतिशत होगी।
- 33) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिससे प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- 34) यदि माल/सेवा के प्रदाय में विलम्ब की बोलीदाता के नियन्त्रण से परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना, बढ़ाया जा सकेगा।
- 35) यदि रजिस्ट्रार निविदत्त सामानों में से किसी भी सामान के प्रदाय का आदेश नहीं करता या बोली प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम आदेशित करता है, तो बोलीदाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
- 36) बोलीदाता को वित्तीय बोली खोले जाने के पश्चात्, आवश्यक होने पर नेगोशियेशन हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपापन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।
- 37) समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में प्रवृत्त की जावेगी।
- 38) बोली पूर्णतः या आंशिक स्वीकृत होने पर करार पत्र एवं धरोहर राशि सम्पूर्ण बोली मूल्य के अनुसार ही संपादित, जमा करानी होगी।
- 39) नियमानुसार आयकर/जीएसटी टीडीएस काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
- मै/हम कार्यालय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी की गई खुली प्रतियोगी बोली सूचना 14 दिनांक 01/09/26 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच मेरे / हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक / प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही हैं। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं / हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने / हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
- उपरोक्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं जो मुझे स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता



राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के संबंध में भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था कार्य की शर्तें

विशेष शर्तें

- 1) बोली आमंत्रण प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं।
- 2) बोलीदाता फर्म को प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर मय मोहर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- 3) आईटमवार दर ऑनलाईन BOQ में दिए गए फॉर्मेट में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में वित्तीय बिड प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4) दरे एफ.ओ.आर आईटमवार होगी।
- 5) बोलीदाता फर्म के पास सरकारी कार्यालय का इस समान प्रकृति के कार्य/सेवा का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अनुभव के समर्थन में कार्यादेश (Work Order), पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) अथवा संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र (Performance Certificate) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदा निरस्त/अउत्तरदायी (Non-Responsive) मानी जाएगी।
- 6) बिडर फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले चाय-नाश्ता और/अथवा लंच डिनर के लिये कैंटरिंग की व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होगी।
- 7) चाय एवं खाना गर्म ताजा एवं खाने योग्य अच्छा होगा।
- 8) चाय के लिए उत्तम क्वालिटी की चीनी एवं चाय पत्ती का प्रयोग करना होगा तथा दूध डेयरी (सरस) का ही प्रयोग में लिया जावेगा एवं नाश्ता एवं भोजन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री ताजा एवं उत्तम क्वालिटी की प्रयोग में लेनी होगी।
- 9) पूरी व चपाती के लिए आटा एगमार्क का ही प्रयोग में लिया जावेगा।
- 10) सब्जी में एगमार्क उच्च क्वालिटी के मसालों का प्रयोग किया जावेगा।
- 11) चाय एवं खाना तैयार कराने का कार्य दक्ष एवं कुशल कारीगर द्वारा कराया जावेगा। उपयोग में लिये जा रहे सामान की जाँच रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्देशित किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा दल द्वारा पृथक-पृथक अथवा सामूहिक रूप से की जा सकेगी। उचित स्तर का माल नही होने की स्थिति में माल स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा संवेदक को तुरन्त उचित स्तर का माल पुनः तैयार कर देना होगा।
- 12) आटा, चाय पत्ती, रिफाईण्ड तेल, मसाले आदि सीलबंद कन्टेनर / पैकिंग में ही लाना होगा।
- 13) गुलाब जामुन उत्तम क्वालिटी के वनस्पति घी में तथा पूरी एवं सब्जी रिफाईण्ड तेल में तैयार करनी होगी।
- 14) चाय एवं खाना जो भी दिया जावेगा उसके लिए कार्यादेश प्राप्त करने होंगे जिसके आधार पर ही भुगतान किया जावेगा। बिना कार्यादेश की गई आपूर्ति का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 15) बोलीदाता के पास सक्षम अधिकारी जारी वैध फूड लाईसेंस होना अनिवार्य है।
- 16) भुगतान हेतु फर्म द्वारा दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जावेगा तथा बिल के साथ कार्यादेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 17) आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होंगे।
- 18) यह बिड व इस हेतु जारी एन.आइ.बी. व उसमें अंकित शर्तें भी अनुबन्ध का भाग मानी जावेगी।

तकनीकी बोली प्रपत्र
बोलीदाताओं की जानकारी

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोली जमा करने वाली फर्म का नाम और डाक पता	
2.	फर्म का प्रकार (मालिक/साझेदारी/कंपनी)	
3.	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
4.	टेलीफोन नंबर (ऑफिस/मोबाइल)	
5.	ईमेल आईडी	
6.	फर्म पंजीकरण संख्या	
7.	पैन नम्बर की प्रति	
8.	जीएसटी पंजीकरण	
9.	अंतिम वित्तीय वर्ष तक का वैट/GST क्लियरेंस प्रमाण पत्र (यदि फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड है)	
10.	Food License issued by Medical Department	
11.	बोली दस्तावेज शुल्क (1000 रुपये)	
12.	RISL फीस 500/- रुपये	
13.	बिड सिक्योरिटी 10000/- रुपये	
14.	RTPP रूल 2013 के रूल 39 के तहत 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नॉन-ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट ज़रूरी है।	
15.	बोलीदाताओं द्वारा घोषणा फॉर्म SR-11	
16.	हस्ताक्षरित विशेष एवं सामान्य नियम एवं शर्तें	
17.	हस्ताक्षरित एनेक्सचर A-D	
18.	खाद्य लाइसेंस की प्रति	
19.	सरकारी कार्यालय का इस समान प्रकृति के कार्य/सेवा का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव। अनुभव के समर्थन में कार्यादेश (Work Order), पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) अथवा संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र (Performance Certificate) संलग्न करें	

- ऊपर दी गई जानकारी के सपोर्ट में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं।
- हम राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी NIB नंबर..... दिनांक में बताई गई सभी शर्तों और साथ में दी गई बिड डॉक्यूमेंट की आगे की शर्तों को मानने के लिए सहमत हैं।
- तकनीकी बोली खुलने की तिथि से बोली 90 दिनों तक वैध रहेगी।
- दिए गए रेट, रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी होने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहेंगे। RTPP रूल्स के प्रोविजन के अनुसार आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट का समय बढ़ाया जा सकता है।
- सेवा प्रदाता/निर्माता/वितरक/डीलर इत्यादि का पंजीकरण भी संलग्न है।
- ऑनलाइन प्राइस शेड्यूल (BOQ) में बताई गई सभी शर्तें स्वीकार की जाती हैं।

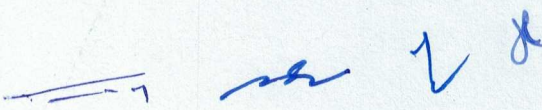
बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम
पता

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने जिन मालों / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके / मैं / हम बONAFAइड विनिर्मिता/थोक विक्रेता/सोल वितरक /प्राधिकृत डीलर / सोल विक्रय / विपणन एजेंट हूँ/ हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत (फॉरफेटेड) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता



—: निविदादाता द्वारा घोषणा :-
(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने जिस सामग्री कार्य की आपूर्ति का कार्य जहाँ कहीं भी किया है, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने अथवा अन्य किसी कारण से हमें किसी भी सरकारी विभाग / उपक्रम / कम्पनी / बैंक द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है एवं ना ही दिवालिया घोषित किया गया है।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि किसी भी न्यायालय में हमारी संस्था के कार्य के संदर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बोली की समस्त जानकारी / शर्तों को मैंने / हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं / हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से पात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरण किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

स्थान :-

तारीख :-

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर मय सील

सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) का पालन एवं हितों के टकराव (Conflict of Interest) का अभाव

क्रय (Procurement) प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति निम्न कार्य नहीं करेगा :-

1. क्रय प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने अथवा उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की रिश्वत, पुरस्कार, उपहार या अन्य भौतिक लाभ की पेशकश नहीं करेगा।
2. किसी वित्तीय अथवा अन्य लाभ को प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के उद्देश्य से गलत प्रस्तुतीकरण नहीं करेगा तथा ऐसी कोई जानकारी नहीं छिपाएगा या भ्रामक जानकारी नहीं देगा जिससे भ्रम उत्पन्न हो।
3. क्रय प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्रगति को प्रभावित करने हेतु किसी प्रकार की मिलीभगत (Collusion), बोली में हेराफेरी (Bid Rigging) अथवा प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा।
4. क्रय संस्था एवं बोलीदाताओं के मध्य साझा की गई किसी भी जानकारी का अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. क्रय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष अथवा उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचाने, हानि पहुँचाने, धमकाने अथवा दबाव डालने जैसे किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या उत्पीड़न में संलग्न नहीं होगा।
6. क्रय प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जांच अथवा लेखा-परीक्षा (Audit) में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
7. यदि कोई हितों का टकराव (Conflict of Interest) हो तो उसका खुलासा करेगा।
8. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी संस्था के साथ हुए किसी भी उल्लंघन (Transgression) अथवा किसी अन्य क्रय संस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंध (Debarment) का खुलासा करेगा।

हितों का टकराव (Conflict of Interest)

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता का किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। हितों का टकराव वह स्थिति मानी जाती है जिसमें किसी पक्ष के निजी या व्यावसायिक हित उसके आधिकारिक कर्तव्यों, संविदात्मक दायित्वों अथवा लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

निम्न परिस्थितियों में किसी बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षों के साथ हितों के टकराव की स्थिति में माना जाएगाकृ

1. यदि उनके नियंत्रक भागीदार (Partners) या शेयरधारक (Shareholders) समान हों; अथवा
2. यदि उन्हें किसी अन्य पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान (Subsidy) प्राप्त हो रहा हो या पूर्व में प्राप्त हुआ हो; अथवा
3. यदि निविदा के प्रयोजन हेतु उनका विधिक प्रतिनिधि (Legal Representative) समान हो; अथवा
4. यदि उनके बीच प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से ऐसा संबंध हो जिससे किसी अन्य बोलीदाता की बोली संबंधी जानकारी तक पहुँच प्राप्त हो सके, या क्रय संस्था के निर्णयों को प्रभावित किया जा सके; अथवा
5. यदि कोई बोलीदाता एक ही निविदा प्रक्रिया में एक से अधिक बोलियों में भाग लेता हो। ऐसी स्थिति में जिन-जिन बोलियों में वह सम्मिलित होगा, वे सभी अयोग्य घोषित कर दी जाएँगी।

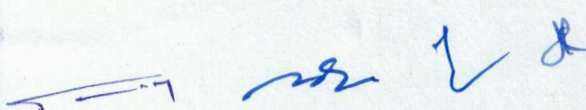
हालांकि, एक ही उप-ठेकेदार (Subcontractor) का एक से अधिक बोलियों में सम्मिलित होना अथवा अन्यथा एक से अधिक बोलियों में बोलीदाता के रूप में भाग लेना इस प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आएगा।

6. यदि बोलीदाता अथवा उसकी किसी संबद्ध इकाई (Affiliate) ने निविदा से संबंधित वस्तुओं, कार्यों या सेवाओं के डिजाइन अथवा तकनीकी विनिर्देश तैयार करने में सलाहकार (Consultant) के रूप में भाग लिया हो; अथवा
7. यदि बोलीदाता अथवा उसकी किसी संबद्ध इकाई को क्रय संस्था द्वारा संबंधित अनुबंध के लिए अभियंता-प्रभारी (Engineer-in-Charge) अथवा सलाहकार (Consultant) के रूप में नियुक्त किया गया हो या नियुक्त किया जाना प्रस्तावित हो।

दिनांक :

स्थान :

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर



बोलीदाता द्वारा अर्हताओं (Qualifications) के संबंध में घोषणा
बोलीदाता द्वारा घोषणा

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के जलपान सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत हमारी बोली, निविदा आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक के संदर्भ में, हम राजस्थान लोक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 7 एवं 11 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं :-

1. मैं/हम क्रय संस्था द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में अपेक्षित आवश्यक व्यावसायिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधनों तथा क्षमता से युक्त हैं।
2. मैं/हमने निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी करों के भुगतान संबंधी अपने दायित्वों का पालन किया है।
3. मैं/हम दिवालिया (Insolvent), रिसीवरशिप (Receivership) में, दिवालिया घोषित (Bankrupt) अथवा परिसमापन (Winding Up) की स्थिति में नहीं हैं। हमारे मामलों का प्रशासन किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है, हमारे व्यापारिक कार्य निलंबित नहीं हैं तथा उपर्युक्त कारणों से हमारे विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।
4. मैं/हम तथा हमारे निदेशक एवं अधिकारी किसी भी ऐसे आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुए हैं जो हमारे व्यावसायिक आचरण से संबंधित हो अथवा खरीद अनुबंध प्राप्त करने हेतु योग्यता के संबंध में झूठे कथन या भ्रामक प्रस्तुतीकरण करने से संबंधित हो। साथ ही, इस खरीद प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व के तीन वर्षों की अवधि में हमें किसी प्रतिबंधात्मक (Debarment) कार्यवाही के परिणामस्वरूप अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
5. राजस्थान लोक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, राजस्थान लोक खरीद में पारदर्शिता नियम तथा इस निविदा दस्तावेज में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारा कोई हितों का टकराव (Conflict of Interest) नहीं है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

दिनांक :

स्थान :

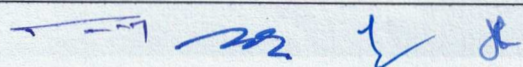
बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

पता : _____

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर



क्रय प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (अपीलें)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पता : अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पता : संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3)
विभाग, राजस्थान सरकार

1. अपील प्रस्तुत करना :- यदि कोई बोलीदाता (Bidder) अथवा संभावित बोलीदाता (Prospective Bidder) यह महसूस करता है कि क्रय संस्था (Procuring Entity) का कोई निर्णय, कार्यवाही या चूक अधिनियम, नियमों अथवा उनके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत है, तो वह निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ऐसे निर्णय, कार्यवाही अथवा चूक की तिथि से 10 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपील में उन विशिष्ट आधारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिनके कारण वह स्वयं को प्रभावित (Aggrieved) मानता है। परंतु यह कि किसी बोलीदाता को सफल घोषित किए जाने के पश्चात अपील केवल उसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी जिसने खरीद प्रक्रिया में भाग लिया हो। इसके अतिरिक्त, यदि क्रय संस्था वित्तीय बोलियाँ (Financial Bids) खोलने से पूर्व तकनीकी बोलियों (Technical Bids) का मूल्यांकन करती है, तो अपील केवल उसी बोलीदाता द्वारा की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य पाई गई हो।
2. अपील का निस्तारण :- उपरोक्त पैरा (1) के अंतर्गत जिस अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी, वह अपील पर यथाशीघ्र विचार करेगा तथा अपील प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करने का प्रयास करेगा।
3. द्वितीय अपील :- यदि पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी पैरा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर अपील का निस्तारण करने में असफल रहता है अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से बोलीदाता, संभावित बोलीदाता या क्रय संस्था असंतुष्ट है, तो संबंधित पक्ष पैरा (2) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने की तिथि से अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।
4. कुछ मामलों में अपील ग्राह्य नहीं होगी
निम्नलिखित विषयों से संबंधित क्रय संस्था के किसी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी :-
 - i. खरीद की आवश्यकता (Need of Procurement) का निर्धारण।
 - ii. निविदा प्रक्रिया में बोलीदाताओं की भागीदारी को सीमित करने वाले प्रावधान।
 - iii. वार्ता (Negotiation) में प्रवेश करने अथवा न करने का निर्णय।
 - iv. खरीद प्रक्रिया का निरस्तीकरण (Cancellation of Procurement Process)
 - v. गोपनीयता (Confidentiality) संबंधी प्रावधानों की प्रयोज्यता।
5. अपील प्रस्तुत करने का प्रारूप एवं प्रक्रिया
 - (क) पैरा (1) अथवा (3) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अपील संलग्न निर्धारित प्रपत्र (Form) में तथा अपील में वर्णित प्रतिवादियों (Respondents) की संख्या के अनुसार आवश्यक प्रतियों सहित प्रस्तुत की जाएगी।
 - (ख) प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी प्रति (यदि कोई हो)। अपील में वर्णित तथ्यों की सत्यता प्रमाणित करने वाला शपथ-पत्र (Affidavit)। अपील शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

- (ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक (Registered Post) द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representative) के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।
6. अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया (Procedure for Disposal of Appeals)
- (क) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपील प्राप्त होने पर अपील, शपथ-पत्र (Affidavit) तथा उपलब्ध दस्तावेजों की प्रति सहित प्रतिवादियों (Respondents) को नोटिस जारी करेगा तथा सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा।
- (ख) सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित कार्य करेगा :-
- अपील से संबंधित उपस्थित सभी पक्षकारों की बात सुनेगा; तथा
 - मामले से संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा उनकी प्रतियों का परीक्षण या निरीक्षण करेगा।
- (ग) पक्षकारों की सुनवाई तथा मामले से संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा उनकी प्रतियों के परीक्षण/निरीक्षण के उपरांत संबंधित अपीलीय प्राधिकारी लिखित आदेश पारित करेगा तथा उस आदेश की प्रति अपील के सभी पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।
- (घ) उपर्युक्त उपबंध (ग) के अंतर्गत पारित आदेश को राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल (State Public Procurement Portal) पर प्रदर्शित/अपलोड किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the (First/Second Appellate Authority)

1- Particulars of appellant;

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2- Name and address of the respondent(s);

(i)

(ii)

(iii)

3- Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;

4- If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6- Grounds of appeal:

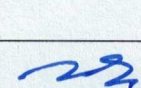
(Supported by an affidavit)

7- Prayer...

Place

Date

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

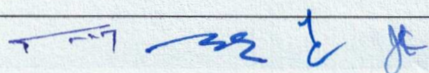
provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- (i). if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii). If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii). If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i). At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii). If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.



(iii). In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However,

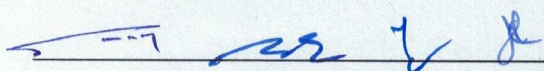
the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply.

If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature and seal of Bidder



वित्तीय बिड

संवेदक/फर्म का नाम व पता.....

क्र. सं.	भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था के लिये वार्षिक दर संविदा	दर (प्रति)	कर (यदि कोई हो)	योग
चाय-नाश्ता				
1	चाय			
2	कॉफी			
3	मिनी समोसा/मिनी दाल कचौरी			
4	मिक्स पकोड़े 50 ग्राम			
5	कानपुरी लड्डू (देशी घी) अनुमानित वनज 25 ग्राम			
6	जलेबी 50 ग्राम			
7	मावा बर्फी 20 ग्राम			
8	बैफर्स 25 ग्राम			
9	बिस्किट - गुड-डे (65 ग्राम)			
10	बिस्किट - क्रेकजेक (60 ग्राम)			
11	20 लीटर कैम्पर			
लंच/डिनर		दर (प्रति थाली)	कर (यदि कोई हो)	योग
12	थाली का विवरण 1. टमाटर सूप/वेजिटेबल सूप (कोई एक) 2. मिक्स वेज/स्टफ टिन्डे/ (कोई एक) 3. पालक पनीर/कढ़ाई पनीर/बटर पनीर (कोई एक) 4. दाल फ्राई 5. बूंदी रायता/मिक्स वेजीटेबल रायता (कोई एक) 6. तवा चपाती 7. बटर नान 8. पूड़ी 9. स्टीम चावल/वेज पुलाव (कोई एक) 10. गुलाब जामुन 11. रसमलाई 12. 200 एमएल पानी की बोतल 13. सलाद (खीरा, टमाटर व नीबू)			